App-A
Crim-I

2019/00270

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बूंदी

सुगना बाई बनाम दुर्गालाल

किस्म मुकदमा 11/अपील/2019 नं. सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
19-7-19	वकील अपीलांट उप० । रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 23-8-19 को पेश हो। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। [signature]	
26-8-19	दिनांक 23-8-19 को राजकीय अवकाश होजाने से पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे से तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्त है/ अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली ताविक कार्यवाही हेतु दिनांक 25.10.19 को पेश हो। [signature]	
25.10.19	वकील अपीलांट उप० । रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 6-12-19 को पेश हो। [signature]	
6.12.19	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। [illegible] 7.2.20 [illegible] [signature]	
7-2-20	वकील अपीलांट उप० । रेस्पोडेन्ट की ओर से वकालतनामा A.D. की अकित सिम्बार्ड का पेश हुआ तथा उक्त पक्ष द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया जो शा.फि. हो। (प्रतिवादी) रेस्पोडेन्ट सं. 4 की तलबी हेतु अपीलांट पुनः सम्मन तलबाना पेश करे। पत्रावली दिनांक 28.2.20 को पेश हो। [signature]	

की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त करी जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत हैं। धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम खटकड़ में खाता संख्या 199 की विस्थित कृषि भूमि पन्ना के 1/2 हिस्से की भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्तानुसार अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। पक्षकारान द्वारा दिनांक 07.02.2020 को राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं और पक्षकारान आपस में रिश्तेदार हैं। इस कारण से पन्ना जी के हिस्से की भूमि में से 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि वसीयत अनुसार रामस्वरूप जी के उत्तराधिकारी सुगनाबाई, राजेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र व चन्दा अपीलांट्स के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। राजीनामा अनुसार 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक कर दिया जावे व राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावें।

बहस उभयपक्ष समाहत की गई। अभिभाषक अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान अपील व राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि अब पक्षकरान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं, जिसके अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 को अपीलार्थीगण के नाम 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर तस्दीक करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि स्व0 पन्ना द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 14.07.2004 से अपीलार्थीगण के पिता को दी थी। वसीयतकर्ता स्व0 पन्ना व वसीयतग्रहिता रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा का अवलोकन करने से जाहिर हुआ कि विवादित आराजी स्व0 पन्ना द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। उक्तानुसार विवादित आराजी स्व0 पन्ना की स्वअर्जित सम्पत्ति होना प्रतीत होने से स्व0 पन्ना को उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग की वसीयत निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार था। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में स्व0 पन्ना द्वारा की गई वसीयत का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा खण्डन नहीं किया गया है अपितु उसकी पुष्टी की गई हैं व वसीयत के अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करने का निवेदन किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित वसीयत का उल्लेख नामान्तकरण कार्यवाही के दौरान नहीं किया हैं और न ही पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि निर्णीत नामान्तकरण संख्या 1923 दिनांक 20.09.2018 नियमानुकूल नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि पत्रावली में संलग्न पक्षकारान का राजीनामा उनके द्वारा किया तो गया हैं किन्तु उसमें वर्णित तथ्य विधि सम्मत नहीं हैं, क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा अपील वसीयत के आधार पर प्रस्तुत की हैं और विवचेनानुसार अपील विषयक नामान्तकरण नियमानुसार निर्णीत नहीं हुआ हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा व संलग्न वसीयत नामा में भूमि के क्षैत्रफल के सन्दर्भ में तथ्य विरोधाभासी हैं, इसलिये प्रकरण का निर्णय राजीनामा अनुसार किया जाना विधि सम्मत् प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व विवेचना के परिणामस्वरूप अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 1923 दिनांक 20.09.2018 निरस्त किया जाता हैं व अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता हैं कि वह प्रकरण में सभी हितधारक पक्षों की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोहन लाल, आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी